उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्र संख्या–सी–116 /लेखा/16–17 दिनांक 28-02-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– बैंक समाधान विवरण पत्रों में दर्शित कालातीत व अन्य चेकों तथा पुरानी प्रविष्टियों (Old Entries) के निस्तारण के सम्बंध में

कृपया उक्त विषयक बैंक के परिपत्र संख्या सी–78 /लेखा/2010–11 दिनांक 01.11.2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा कालातीत हुए चेकों के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये थे इसके बावजूद अधिकांश शाखाओं द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है एवं लेखा सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके समाधान हेतु पुनः निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

1. ऐसी चेकें जो बैंक द्वारा जारी किए गए किन्तु तीन माह व्यतीत होने के उपरान्त भी कलेक्शन नहीं हुआ है अथवा खो गये हैं। ऐसी चेको का बैंकर्स से नान पेमेण्ट सर्टिफिकेट(एन0पी0सी0) प्राप्त करें। चेकों को निरस्त करते हुए विपरीत लेखा प्रविष्टि कर ली जाए। यदि चेक ऋण वितरण से सम्बंधित है एवं इसका ऋण खाते में खाता खोलकर खाते में ब्याज भी लगा दिया गया है तो चेक निरस्तीकरण के उपरान्त उस खाते में लगाया गया समस्त ब्याज एवं मूलधन की आऊटस्टैडिंग की विपरीत लेखा प्रविष्टि कर ली जाए तथा लाभार्थी को सूचित करते हुए नियमानुसार दूसरी चेक जारी करने की कार्यवाही की जाए।
2. विभिन्न एजेन्सी से प्राप्त अनुदान तथा लाभार्थियों के ऋण के सापेक्ष प्राप्त वसूली के चेक जिन्हे शाखा द्वारा उगाही (Collection) हेतु बैंक के खाते में जमा किया गया किन्तु विभिन्न कारणों से उसका कलेक्शन नहीं हुआ अथवा खो गया है। ऐसी स्थिति में यदि चेक प्राप्त नहीं हुई है वो बैंकर्स से पत्राचार करके स्थिति स्पष्ट कर ली जाए। यदि चेक प्राप्त हो गयी है तो जिस कारण से वापस हुआ है,का उल्लेख करते हुए सम्बंधित एजेन्सी को वापस कर विपरीत लेखा प्रविष्टि कर ली जाए। दूसरी चेक निर्गत कराने की आवश्यकता हो तो तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
3. यदि बैंक समाधान विवरण पत्र में कोई धनराशि असमाधानित रह जाती है तो इस पर बैंकर्स से तुरन्त पत्राचार करके अपेक्षित सुधार कर लिया जाए। किसी भी परिस्थिति मे बैंक रागाधान विवरण पत्र में तीन माह से अधिक समय की चेक/एंव असमाधानित धनराशि दर्शित नहीं होनी चाहिए।
4. ऋण वितरण हेतु जारी चेक का भुगतान यदि एक माह के अन्दर नही होता है तो सम्बंधित लाभार्थी अथवा बैंकर्स से सम्पर्क /पत्राचार कर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
5. प्रत्येक बैंक खातो का समाधान विवरण–पत्र प्रति माह नियमित रूप से बनाया जाए।
6. प्रतिमाह बनाये जाने वाले बैंक समाधान विवरण–पत्रों में असमाधानित चेकों का विवरण निम्न प्रकार अंकित किया जायः–

Path - IT CEL → Sending Mail → Bank Rec cir. docx

(क) ऐसी चेको का विवरण जो बैंक द्वारा जारी किया गया किन्तु अभी तक उगाही नहीं हुई है:–

क्रमांक	चेक जिसके पक्ष में जारी किया गया	चेक सं0	तिथि	धनराशि	उगाही न होने का कारण
1	2	3	4	5	6

(ख) ऐसी चेके जिनको बैंक द्वारा उगाही हेतु बैंक में जमा किया गया किन्तु अभी तक उगाही नहीं हो सकी।

क्रमांक	चेक निर्गत कर्ता का नाम	चेक सं0	तिथि	धनराशि	उगाही न होने का कारण
1	2	3	4	5	6

7. प्रधान कार्यालय को RTGS/NEFT/CBS से प्रेषित धनराशि का भी समाधान कर लिया जाय एवं ऐसी प्रेषित धनराशि का UTR नम्बर प्राप्त कर रिकार्ड सुरक्षित रखा जाय। यदि किसी कारणवश RTGS/NEFT/CBS फेल हो जाता है तो उसी माह उसकी विपरीत लेखा प्रविष्टि कर ली जाए।
8. यदि वसूली की धनराशि RTGS/NEFT/CBS से प्राप्त होती है तो उसका विवरण प्राप्त कर लेखा प्रविष्टि करते हुए सम्बंधित ऋण खाते में प्रविष्टि दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।
9. शाखा के संतुलन पत्र में कोई पुराना पावना/दायित्व दर्शित है का समाधान अवश्य कर लिया जाए।
10. कतिपय शाखाओं में अनुदान की पुरानी धनराशि असमायोजित दर्शित चली आ रही है एवं उसका विवरण भी शाखाओं में उपलब्ध नहीं है ऐसी अनुदान की धनराशि का विवरण रजिस्टर पर दर्ज करते हुए सम्बंधित विभाग को वापसी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। किसी भी दशा में पुरानी अनुदान धनराशि संतुलन पत्र में दर्शित नहीं होनी चाहिए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए अन्यथा सम्बंधित कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

28/12/17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय/जनपदीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ ।
2. समस्त अधिकारीगण,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ।
3. प्राचार्य,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण केन्द्र–लखनऊ।
4. प्रबन्धक श्रेणी–2 (ITCell) उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

30.12.17

(ए0के0शुक्ला)
महाप्रबंधक